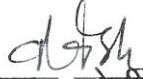


राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-211) अलेसे-1/7603-7609 दिनांक:- 17.10.13
आदेश संख्या: 343/2013-14

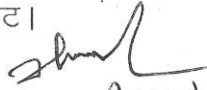
श्री गोपाल लाल चौखडा, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, चित्तौडगढ़ जिनकी जन्मतिथि 16.08.1959 व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 26.06.1982 है, को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2013 के द्वारा चाहेनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01.02.2014 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री गोपाल लाल चौखडा, सहायक लेखाधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित/ प्रस्तावित नहीं है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-211) अलेसे-1/7603-7609 दिनांक:- 13-01-14
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ़।
4. कोषाधिकारी चित्तौडगढ़।
5. श्री गोपाल लाल चौखडा, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, चित्तौडगढ़।
6. उप निदेशक, (ए.सी.पी.) निदेशालय हाजा को वेबसाईड पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
7. निजी सहायक निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।


(S. M. Meena)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)